

समक्ष माननीय राजस्व मंडल में प्रो ग्वालियर केम्प सागर 100 प्रो 1

अपील 1341-I/07

धनीराम साहू पिता सुक्के साहू उम्र 52 वर्ष  
 पेशा फल की दुकान निवासी ग्राम भैसा तहसील हटा, जिला दमोह 100 प्रो 1  
 हाल निवास- अमरावती रतनगंज मंडीपुरा गौद बाबा मंदिर के पीछे  
 अमरावती राजकमल चौक रोहित डेरी अमरावती-  
 पो 0 आ 0 अमरावती महाराष्ट्र-  
 ----- अपीलार्थी

15  
 अ. प्रो. ग्वालियर  
 अपील

11 JUL 2007  
 अ. प्रो. ग्वालियर  
 अ. प्रो. ग्वालियर  
 अ. प्रो. ग्वालियर

11 बिरुद्ध 11

- 11 श्रीमति कमला बाई पति रामलाल साहू उम्र 42 साल  
 साकिन रनेह पो. आ. रनेह तहसील हटा जिला दमोह 100 प्रो 1
  - 12 श्रीमति भागवती बाई पति गुलाब साहू उम्र 66 साल  
 साकिन कनौरा पो. आ. मगरौर तहसील बटियागढ़  
 जिला दमोह 100 प्रो 1
  - 13 संतोष साहू पिता बालवंत साहू उम्र 32 साल  
 साकिन रनेह पो. आ. रनेह तहसील हटा जिला दमोह 100 प्रो 1
- प्रति अपीलार्थीगण

निवासी अ. प्रो. ग्वालियर  
 अ. प्रो. ग्वालियर  
 अ. प्रो. ग्वालियर

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) में प्रो 10 र 10 सं


उपरोक्त अपीलार्थी न्यायालय श्री मान् अपर आयुक्त सा  
 संभाग सागर 100 प्रो 1 द्वारा अपील क्र 605अ-6-04-05 में पारित  
 आदेश दिनांक 18-4-07 नाम पक्षकार श्रीमति कमला बाई वा  
 एक बिरुद्ध संतोष साहू से परिवेदित होकर यह अपील निम्न  
 एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

11 यह कि अपीलार्थी प्रति अपीलार्थी क्र 1, व 2, का  
 है एवं प्रति अपीलार्थी क्र 3, का मामा है। अपीलार्थी की  
 बहिने है। श्रीमति फूलबाई, श्रीमति भागवती बाई, एवं श्री  
 एवं भान्ने द्वारा फर्जी बसी

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1341-एक/2007

जिला-दमोह

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
4-3-15 सागर कैंप	<p>अपीलार्थी अधिवक्ता शिवशंकर उपाध्याय उपस्थित । उन्होंने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वे प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं इसलिये प्रकरण नॉटप्रेस में समाप्त कर दिया जाये । निवेदन स्वीकार । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	